न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 11/2017/ जिला–नागौर (2017/00030)

1. गिरधारीदान पुत्र रूगदान जाति चारण, निवासी सुरपालिया, तहसील जायल जिला नागौर।
2. चतरदास पुत्र फुसदास जाति साद, निवासी सुरपालिया, तहसील जायल जिला नागौर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

–––प्रत्यर्थी

2. छेलकंवर पत्नी भंवरदान
3. रेखा कंवर पुत्री भंवरदान
4. जान कंवर पत्नी मदनदान
5. किरण कंवर पुत्री मदनदान
6. शिया कंवर पुत्री मदनदान
7. पिंकू कंवर पुत्री मदनदान । नाबालिग जरिये संरक्षक माता जान कंवर
8. अन्नू कंवर पुत्री मदनदान । पत्नी मदनदान
9. सांवल सिंह पुत्र इन्द्रदान
10. हनुमानदान पुत्र इन्द्रदान
11. राजकंवर बेवा इन्द्रदान
    समस्त जाति चारण, निवासी सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।
12. हनुमानदान पुत्र प्रभुदान
13. रामदयाल पुत्र प्रभुदान
    समस्त जाति चारण, निवासी सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।

––––रेस्पोन्डेन्ट

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, जायल दिनांक 17–02–2017
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2016 बउनवान गिरधारी सिंह
बनाम तहसीलदार जायल व अन्य

उपस्थित– 1. श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री जी.एस.चारण व लेखू मंघानी अभिभाषकगण रेस्पो0 संख्या 12 व 13

निर्णय

दिनांकः— 20.02.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निम्बोड़ा तहसील जायल में अपीलांट संख्या 1 तथा तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 25—12—00 तथा खसरा नम्बर 7 रकबा 62—11—00 बीघा है इसी प्रकार अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी में खसरा नम्बर 7 रकबा 89—08—00 बीघा भूमि खातेदारी में वर्णित है। विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स की खातेदारी में सदैव से अंकित रही है। तहसीलदार, जायल ने एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी जायल के समक्ष भू—राजस्व अधिनियमकी धारा 131, 132 व 136 का अंकन करते हुए तथा भू—अभिलेख नियम 60 का अंकन करतेहुए अपीलांट व तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स की भूमि आवागमन के काम आना वर्णित करते हुए सार्वजनिक रास्ता अंकित करने बाबत प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, जायल ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 17—2—2017 को निर्णय पारित करते हुए खातेदारी की भूमि में नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स की खातेदारी भूमि का रकबा कम कर भूमि राजकीय अंकित करने का निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट्स ने प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की तथा उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य—मुख्य तर्क यह दिये कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज किया कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2, 6, 7 की भूमि जो खातेदारी की थी उसका रकबा कम कर गैर मु. रास्ता अंकन किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी जायल को भू—राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 के तहत प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, जायल को खसरा नम्बर 2, 6, 7 में रास्ता दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत तहसीलदार को भू—प्रबन्ध के दौरान की गई किसी त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत मात्र आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है तथा ऐसा कोई पूर्व अभिलेख प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिसमें कभी भी खसरा नम्बर 2, 6, 7 की भूमि रास्ते के रूप में दर्ज रही हो। इस प्रकार तहसीलदार, जायल द्वारा अन्य कारणों से प्रभावित होकर द्वेषतावश नया रास्ता निकालने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा अपने

में निहित शक्तियों से परे जाकर खातेदारी की भूमि को राजकीय रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है वह किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट्स तथा तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना अत्यन्त ही जल्दबाजी में मनमाने तरीके से फर्दअहकाम अंकित कर जो आदेश पारित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने यह भी कथन किया कि तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स अनुकंवर व पिंकू कंवर नाबालिग है तथा नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक नियुक्त किये बिना जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी ने पारित किया है वह अवैध है इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी जायल के न्यायालय सेजारीशुदा कोई नोटिस कभी अपीलांट्स व तरतीबी प्रत्यर्थीगण को तामील नहीं हुआ तथा समस्त कार्यवाही फर्जकारी तरीके से करते हुए अपीलांट्स की बेशकीमती भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट्स की अपील को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2017 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि ग्राम निम्बोड़ा के भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 25.12 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 62.11 बीघा, खसरा नम्बर 6 रकबा 89.08 बीघा की खातेदारी वर्तमान रिकार्ड अनुसार खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 में मानचित्र एवं फिल्ड बुक का संधारण व धारा 132 में वार्षिक रजिस्टरों में संधारण का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सभी परिवर्तनों को नक्शें पर लेने का दायित्व हैं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 के नक्शे में दुरूस्ती करने का प्रावधान है। उक्त आराजी मौके पर आवागमन के काम आ रही है तथा उक्तआराजी में आपसी आवागमन के लिए सुविधा को देखते हुए ग्रामवासियान ने उक्त आराजी में रास्ते को रेकार्ड में तथा नक्शा में पृथक से तरमीम कराने का निवेदन किया गया था क्योंकि उक्त रास्ता एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जावेगा तथा निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जावेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावेगी। निजी खातेदार की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहने से अपीलार्थीगण का हक प्रभावित नहीं होता है व उक्त रास्ता आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा है। राज्य सरकार के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003 पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 चलाया गया था जिसमें चालू स्थायी रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है एवं राज्य

सरकार की मंशानुरूप रास्ते संबंधी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नहीं होना सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान में रास्ते का उपयोग जनसुविधार्थ हो रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या–2 से 11 की खातेदारी भूमि है जिसमें से आमजन के आवागमन हेतु रास्ता निकाले जाने संबंधी प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जायल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष प्रस्तुत किया है। तहसीलदार को पूर्ववर्ती रास्तों को खुलवाने एवं नक्शे में तरमीम संबंधी अधिकार प्रदत्त है, जनसुविधा हेतु सुखाचार बाबत तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत रूके हुए रास्ते को खुलवाने संबंधी क्षैत्राधिकार है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार, जायल द्वारा चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता खातेदार की खातेदारी भूमि में ही रहने से अपीलांट्स के हक प्रभावित नहीं होते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956की धारा 3(1) में परिभाषित तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17–9–1956 के द्वारा धारा 131, 132, 136 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम निम्बोड़ा की विवादग्रस्त आराजियात में से नजरी नक्शेनुसार गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शेनुसार नक्शे में तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदारों के खाते में गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये है, जो विधिसम्मत है। इस प्रकार उक्त तथ्यानुसार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–2–2017 न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है तथा प्रकरण में महत्वपूर्ण एवं सारभूत तथ्यों के विद्यमान रहते अपील के अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर विचार किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को नजरअन्दाज करना प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनाक 17–2–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2016 बउनवान गिरधारीदान वगैरह बनाम तहसीलदार व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर